

मुख्यमंत्री ने दी पदोन्नतिसंबंधी प्रकरणों के अध्ययन हेतु समिति के गठन की मंजूरी चर्चा में क्यों?

20 जनवरी, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कर्मचारियों के पदोन्नतिसंबंधी प्रकरणों का अध्ययन करने के लिये समिति का गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- कर्मचारियों के पदोन्नतिसंबंधी प्रकरणों का अध्ययन करने के लिये समिति का गठन सेवानिवृत्त आईएस खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में किया जाएगा। समिति का सदस्य सचिव, संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग तथा समिति का प्रशासनिक विभाग कार्मिक विभाग होगा।
- प्रस्ताव के अनुसार कार्मिक विभाग द्वारा विभिन्न विभागों में कैडर्स की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें अनेक कारणों से नहीं हो पाने तथा पदोन्नति में आरक्षण संबंधी अधिसूचना का पालन सुनिश्चित करने के संबंध में मार्गदर्शन के लिये प्रकरणों का अध्ययन कर सफारिश करने हेतु पृथक् से समिति का गठन किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि पूर्व में मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारी वेतन वसिगत परीक्षण समिति का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 12.2022 को राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।